

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 233/वि0स0/संसदीय/23(सं)/2020

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 26 फरवरी, 2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार तथा मतदान का तिथिवार कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 197/वि0स0/संसदीय/4(सं)/2020, दिनांक 20 फरवरी, 2020 के क्रम में मुझे यह निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-188 के उपनियम (2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार तथा मतदान हेतु तिथिवार कार्यक्रम दिनांक 27, 28 फरवरी, 2020, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 मार्च, 2020 के लिये निर्धारित हुआ है, उसकी प्रतिलिपि आपकी सूचनार्थ संलग्न करूं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 233(1)/वि0स0/संसदीय/23(सं)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 5-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 6-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 7-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 8-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,

- 9-पुलिस कमिश्नर, लखनऊ,
- 10-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 11-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 12-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 13-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 16-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 20-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 21-समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ,
- 22-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 23-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 24-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 25-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा तथा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य विधान परिषद्/
विधान सभा,
- 26-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 27-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 28-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल
की सूचनार्थ,
- 29-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 30-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 31-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार,
संयुक्त सचिव।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं
मतदान का तिथिवार कार्यक्रम

वर्ग-1 (27, 28 फरवरी, 2020), 02 दिन

अनुदान संख्या	विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	दिन	
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास मंत्री	गुरुवार (27 फरवरी)	
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पंचायती राज मंत्री		
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री		
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण मंत्री		
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री		
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	लोक निर्माण मंत्री		
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)			
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)			
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)			
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)			
40	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री	शुक्रवार (28 फरवरी)	
46	प्रशासनिक सुधार विभाग			
26	गृह विभाग (पुलिस)			
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)			
82	सतर्कता विभाग	कृषि मंत्री		
21	खाद्य तथा रसद विभाग			
43	परिवहन विभाग			
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री		
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री		
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)			

09	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	} शुक्रवार (28 फरवरी)
37	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	} गन्ना एवं चीनी मंत्री	
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)		

वर्ग-2 (02, 03, 04, 05, 06 व 07 मार्च, 2020) 06 दिन

33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	}	मुख्य मंत्री	}	सोमवार (02 मार्च)	
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)					
25	गृह विभाग (कारागार)					
86	सूचना विभाग					
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)		नागरिक सुरक्षा मंत्री			
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)		होमगार्ड्स मंत्री			
87	सैनिक कल्याण विभाग		सैनिक कल्याण मंत्री			
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	}	विवाद नहीं होगा			वित्त मंत्री
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)					
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)					
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)					
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)					
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)		दुग्ध विकास मंत्री			
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री			
38	नागरिक उड्डयन विभाग	विवाद नहीं होगा	नागरिक उड्डयन मंत्री			

71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	विवाद नहीं होगा	मुख्य मंत्री	मंगलवार (03 मार्च)
44	पर्यटन विभाग			
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
92	संस्कृति विभाग			
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	विवाद नहीं होगा	माध्यमिक शिक्षा मंत्री	
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)			
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	विवाद नहीं होगा	उच्च शिक्षा मंत्री	
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)			
42	न्याय विभाग			
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	विवाद नहीं होगा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग			
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)			
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	विवाद नहीं होगा	पशुधन मंत्री	
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
		विवाद नहीं होगा	मत्स्य मंत्री	बुधवार (04 मार्च)
		विवाद नहीं होगा	न्याय मंत्री	
		विवाद नहीं होगा	राजनैतिक पेंशन मंत्री	
		विवाद नहीं होगा	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	
		विवाद नहीं होगा	सार्वजनिक उद्यम मंत्री	
		विवाद नहीं होगा	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	
		विवाद नहीं होगा	दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री	

50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)				
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)				
52	राजस्व (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)			मुख्य मंत्री	
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)				
39	भाषा विभाग	विवाद नहीं होगा			
45	पर्यावरण विभाग			पर्यावरण मंत्री	गुरुवार (05 मार्च)
60	वन विभाग			वन मंत्री	
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)			जल शक्ति मंत्री	
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)				
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)			जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री	
01	आबकारी विभाग			आबकारी मंत्री	
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			सहाकारिता मंत्री	
02	आवास विभाग				
41	निर्वाचन विभाग	विवाद नहीं होगा			
84	सामान्य प्रशासन विभाग				
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग				
22	खेल विभाग				
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)			मुख्य मंत्री	
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	विवाद नहीं होगा			
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग				
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)				
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)			औद्योगिक विकास मंत्री	
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)			खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री	
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)			वस्त्रोद्योग मंत्री	
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)			लघु उद्योग मंत्री	शुक्रवार (06 मार्च)

04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	}	विवाद नहीं होगा	}	मुख्य मंत्री	}	शनिवार (07 मार्च)
78	सचिवालय प्रशासन विभाग						
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)						
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)						
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	}	विवाद नहीं होगा	}	संसदीय कार्य मंत्री		
67	विधान परिषद् सचिवालय						
68	विधान सभा सचिवालय						
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)						
					चिकित्सा शिक्षा मंत्री		